न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज अमरसिंह बनाम मोहनलाल बनाम मु. सं.

23/4/18

पुनश्च:- राजस्व लोक अदालत- न्याय आपके द्वार के लिए पत्रावली प्राप्त की गई। पक्षकारों को सूचना जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 7:5:18 को लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र..... हल्देना .... में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 7–5–2018

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प हल्देना पेश हुई। वादी अमरसिंह पुत्र गोपीराम जाति बलाई निवासी हल्देना तहसील महवा द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि ग्राम हल्देना तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 1314, 1315, 1329, कुल किता 3 रकबा 1.12 हैक्टयर का वादी तन्हा खातेदार है। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1लगायत 6 का किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। वादी के परिवार का शजरा निम्न प्रकार है।

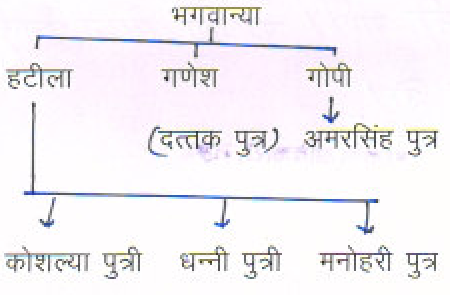

वादी का भाई गणेश 40वर्ष पूर्व रामपाल निवासी माधोगढ के गोद चला गया वादी ही मृतक मनोहरी का एक मात्र पुत्र है। मनोहरी का देहान्तत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया है। प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड का अनावश्यक लाभ लेकर आराजी को रहन बिक्रय करने पर उतारू है।

कार्यालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अमरसिंह बनाम मोहनलाल ग्रा. सं.	

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम हल्देना तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 1314, 1315, 1329, कुल किता 3 रकबा 1.12 हैक्टयर की खातेदारी अमरसिंह पुत्र गोपी हि.1/3, मोहनलाल विनोदकुमार रामभरोसी पि.रामकुवार व मौसम पुत्री रामकुवार हि.ब.1/3 जाति बलाई निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर, गणेश पुत्र भगवान्या हि.1/3 के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 वादग्रस्त भूमि के खातेदार है। वादी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गसी है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि गणेश गोद चला गया हो। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही खातेदारी दर्ज हुआ है जैसाकि नामान्तरकरण संख्या 286 के अवलोकन से स्पष्ट होता है। वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होता है।

अतः वादी का वाद बाबत आराजी खसरा नम्बर 1314, 1315, 1329, कुल किता 3 रकबा 1.12 हैक्टयर स्थित ग्राम हल्देना तहसील महवा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)
कैम्प हल्देना